<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री बी0 एस0 गोयल एण्ड सन्स, रंग महला, शाहजहाँपुर।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**012 / 11, 17.02.2011**
प्रार्थी की ओर से	**कोई उपस्थित नहीं हुआ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

सर्वश्री बी0 एस0 गोयल एण्ड सन्स, रंग महला, शाहजहाँपुर द्वारा दिनांक 17.02.2011 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा यह पूछा गया है कि यदि प्रार्थी द्वारा किसी विक्रेता डीलर से टैक्स इनवायस के माध्यम से खरीद करता है, किन्तु विक्रेता डीलर द्वारा किन्हीं कारणों से वसूला गया कर वाणिज्य कर विभाग में जमा नहीं करता है तो ऐसी परिस्थिति में प्रार्थी द्वारा इनपुट टैक्स क्रेडिट का किया गया दावा कर निर्धारण के समय स्वीकार होगा अथवा उसकी रिवर्स आई0 टी0 सी0 की जायेगी।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ। नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 19.03.2014 के लिए नोटिस भेजी गई। उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा पत्र संख्या-478, दिनांक 01.06.2011 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वैट नियमावली, 2008 के नियम-21 (जे) में यह व्यवस्था है कि व्यापारी द्वारा क्रय की गई ऐसी वस्तुओं जिनके टैक्स इनवायस की मूल प्रति नहीं है और वह खरीद क्रेता व्यापारी के रिटर्न के साथ दाखिल संलग्नक-ए से सत्यापित नहीं होते हैं। ऐसे प्रकरण में आई0 टी0 सी0 अनुमन्य नहीं है। इस प्रकार यदि वसूला गया कर राजकीय कोष में जमा प्रमाणित नहीं है तो ऐसे संव्यवहार पर क्रेता व्यापारी के आई0 टी0 सी0 का दावा अस्वीकार करके रिवर्स आई0 टी0 सी0 की कार्यवाही होगी।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना-पत्र में इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई0 टी0 सी0) से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) निम्न प्रकार से प्राविधानित है :-

" यदि न्यायालय के समक्ष अथवा इस अधिनियम के अधीन किसी अधिकारी के समक्ष विचाराधीन कार्यवाही से भिन्न कोई प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ "-

(क) कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का संघ, सोसायटी, क्लब, फर्म, कम्पनी, निगम, उपक्रम या सरकारी विभाग व्यवहारी है, या

(ख) किसी माल के प्रति किया गया कोई कार्य-विशेष स्वत: या परिणामत: माल का निर्माण, उस शब्द के अर्थानुसार है ; या

....2

(ग) कोई संव्यवहार विक्रय या क्रय है और यदि हॉ, तो उसका विक्रय या क्रय मूल्य, यथास्थिति, क्या है ; या

(घ) किसी व्यवहारी विशेष से पंजीयन कराना अपेक्षित है ; या

(ङ) किसी विक्रय या क्रय विशेष के सम्बन्ध में कर देय है, और यदि हॉ, तो उसकी दर क्या है-

उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की स्वीकार्यता एवं अस्वीकार्यता से सम्बन्धित प्रश्न नहीं आते हैं । ऐसे प्रश्न के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं है । अतः प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किये जाने योग्य है ।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा प्रेषित आख्या व विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया । पाया गया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट के दावों की स्वीकार्यता, अस्वीकार्यता एवं इनपुट टैक्स क्रेडिट की धनराशि के समायोजन इत्यादि से सम्बन्धित प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 (1) में प्राविधानित व्यवस्था से आच्छादित नहीं है । ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत ग्राह्य नहीं हैं जिसके कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अस्वीकार किया जाता है ।

6. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 28 मार्च, 2014

ह0 / 28.03.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।